शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय

डोंगरगांव 491661
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

"नैक द्वारा मान्यता प्राप्त"

1984-2019-20

PROSPECTUS

विवरणिका

Scanned with CamScanner

छात्र-छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में
स्वच्छता अभियान

शतप्रतिशत मतदान हेतु शपथ लेते महाविद्यालय के
प्राध्यापक एवं छात्र-छात्रायें

पर्यावरण संरक्षण पर महाविद्यालय में
चित्रकला प्रतियोगिता

वनस्पति शास्त्र के छात्र-छात्राओं द्वारा
पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत गमलों में पौधा रोपण

शैक्षणिक भ्रमण (जंगल सफारी) में
महाविद्यालय के छात्र-छात्रायें

वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत
प्रतिभागी व छात्र-छात्रायें

Scanned with CamScanner

शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय

डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध

विवरण-पत्रिका

शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय
डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)
फोन : 07745-271882, 204621
E-mail: collegebsba@gmail.com
Website : bsbacollege.com

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय की अनवरत् यात्रा

शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय डोंगरगाँव की स्थापना 03 सितंबर 1984 को म.प. शासन उच्च शिक्षा विभाग की विस्तारीकरण नीति एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा प्रबुद्धजनों की मांग पर इस उद्देश्य से की गई थी कि यहां के अर्द्धशहरी, ग्रामीण तथा आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थी उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके।

स्थापना वर्ष में यहां सिर्फ 81 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया जिनके लिए कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास विषय में अध्यापन की व्यवस्था थी, किन्तु विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, महाविद्यालय प्रशासन के निरंतर प्रयासों से 1986-87 में वाणिज्य स्नातक की कक्षाएं तथा 1997-98 में राजनीतिशास्त्र में स्नातकोत्तर (एम.ए) अध्यापन की व्यवस्था एवं 2005-06 में विज्ञान संकाया तथा स्नातकोत्तर वाणिज्य एम.कॉम. एवं स्नाकोत्तर हिन्दी (एम.ए.) के अध्यापन की व्यवस्था शासन द्वारा की गई। सत्र 2011-12 से एम.एस.सी. गणित, बी.काम. एवं बी.एस.सी. की कक्षाओं में कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय प्रारंभ किया जा चुका है। सत्र 2013-14 से एम.ए. अर्थशास्त्र तथा एम.ए. समाजशास्त्र की कक्षा स्ववित्तिय योजनांतर्गत प्रारंभ की गई। सत्र 2014-15 से एम.एस.सी. वनस्पस्ति शास्त्र एवं एम.ए. अंगेजी कक्षा, सत्र 2017-18 में गृह विाान स्नातक स्तर पर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एस0सी प्राणीशास्त्र प्रारंभ की गई।

81 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुआ यह महाविद्यालय रजत-जयंती वर्ष 2018-19 में 2246 विद्यार्थियों की दर्ज संख्या के साथ जिले का महत्वपूर्ण महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त कर चुका है।

महाविद्यालय का संपूर्ण विकास हो इसके लिए शासन द्वारा 1997-98 से महाविद्यालय में जनभागीदारी प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, गठन के पश्चात् से ही समिति महाविद्यालय संरचना विकास एवं श्रेष्ठ अध्यापन व्यवस्था हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।

9 वीं पंचवर्षीय योजना से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली एवं क्षेत्रिय मध्य कार्यालय भोपाल से अनुदान प्राप्त होना आरंभ हुआ है, ताकि महाविद्यालय उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार ला सके।

आज महाविद्यालय जिले का महत्वपूर्ण महाविद्यालय होने का गौरव लिये शैक्षणिक सत्र 2009-10 में अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रजत-जयंती मना चुका है। वर्ष 2008-09 में महाविद्यालय का नाम बदलकर संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरगाँव किया गया। बदलते परिवेश एवं मांग के साथ-साथ महाविद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ हो इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयासरत हैं। प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। महाविद्यालय विद्यार्थियों को रोजगार की सूचना तथा उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में रोजगार सूचना केन्द्र तथा मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना रजत-जयंती वर्ष 2009-10 में की गई है, प्रकोष्ठ निरंतर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, रोजगार सूचना, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है जिसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं, जिससे विद्यार्थी समुदाय लाभांवित हो रहा है।

Scanned with CamScanner

मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना रजत-जयंती वर्ष 2009-10 में की गई है, प्रकोष्ठ की स्थापना रजत-जयंती वर्ष 2009-10 में की गई है, प्रकोष्ठ निरंतर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, रोजगार सूचना, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है जिससे सार्थक परिणाम आ रहे हैं, जिससे विद्यार्थी समुदाय लाभांवित हो रहा है.

महाविद्यालय के विद्यार्थी ज्ञान के नए क्षेत्रों से परिचित हो सके इसके लिए विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान विषयवार आयोजित किये जा रहे हैं. तथा समय-समय पर रोजगार मुहैया कराने हेतु कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन भी किया जा रहा है. महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता से NRC केन्द्र की स्थापना की गई है. ताकि विद्यार्थी इंटरनेट की सुविधा तथा ज्ञान के नए क्षेत्रों से परिचित हो सके, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडक्रास जैसे संगठनों से महाविद्यालयीन विद्यार्थी अपना सामुदायिक विकास तथा जनसेवा का आदर्श भी प्रस्तुत कर सकेंगे. पुस्तकालय में पृथक अध्ययन कक्ष की स्थापना की गई है जहां विद्यार्थी खाली समय में बैठकर समय के उपयोग के साथ ज्ञानार्जन भी कर सकेंगे तथा पुस्तकालय का पूर्ण उपयोग भी कर सकेंगे. महाविद्यालय में निरंतर क्रीड़ा गतिविधियां आयोजित की जाती है ताकि विद्यार्थी अध्ययन के साथ-साथ खेल जगत में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर महाविद्यालय का नाम रौशन कर सके.

महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी सक्रियता का परिचय देकर महाविद्यालय की गरिमा में अभिवृद्धि करेंगे.

महाविद्यालय मे 2 विषयों वाणिज्य एवं समाजशास्त्र में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का सपलतापूर्वक आयोजन किया गया इस शोध संगोष्ठी में माननीय कुलपति, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, शोधार्थी ने शोध पत्रों का वाचन किया एवं सारगर्भित विचार प्रस्तुत किये, साथ ही रूसा के अंतर्गत कार्यशाला, नैक,आईक्यूएसी कार्यशाला के आयोजन ने महाविद्यालय की पहचान राष्ट्रीय स्तर तक पहूंचा दी है.

शुभकामनाओं सहित .....

प्राचार्य
शास.डॉ.बा.सा.भी.अंबेडकर महाविद्यालय
डोंगरगांव

Scanned with CamScanner

... महाविद्यालय का गौरव ...

सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष	-	श्री प्रदीप गॉधी
सहायक प्राध्यापक पद पर चयनित छात्र :-		
1. श्री गोकूल राम निषाद	-	शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव
2. श्री सनबरसन साहू	-	शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर
3. श्री मनोज रंगारी	-	शासकीय महाविद्यालय, रामाटोला
डिप्टी कलेक्टर (उप जिलाधीश)	-	श्री विरेन्द्र बहादुर
प्राचार्य	-	श्री अरूण मेश्राम
पुलिस उप अधीक्षक	-	श्री अभिषेक महेश्वरी
आबकारी अधिकारी	-	श्री नीलोफर जैन
चार्टड एकांउटेंट	-	श्री गिरीश तिवारी
	-	श्री अतुल नहाटा
	-	प्राची गॉधी
सब इंस्पेक्टर	-	श्री सनी दुबे
	-	श्री सनत मांतरे
	-	श्री खोमराज ठाकुर

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर

छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. प्रस्तावित :-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छ. ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होगें तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेगें।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना –

महाविद्यालय में प्रवेश/अस्थायी प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किए जावेगें। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगें। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' मे हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मुल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

Scanned with CamScanner

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा मे बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 04 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देगें

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- (एक सौ रुपये) अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6. महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ - साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेगें कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करगें जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7. छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशा क्रमांक 2653/2014/38-1, दिनांक 10,9,2014 अनुसार राज्य शासन एतद द्वारा शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है का पालन किया जाए

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी,

Scanned with CamScanner

अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में हैं, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुण, क्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर , नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एससी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय के छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.काम./बी. एससी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एम.काम./ एम. एमसी. (गृहविज्ञान)/एम. ए. पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर, बी. एससी, उत्तीर्ण आवेदकों को एम. एससी/एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमितप्रवेश की पात्रता होगी सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु एटीकेटी (Allowed to keep Terms) नियम:-

1 स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है

2 स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में एटीकेटी (Allowed to keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल. एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल. बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल. एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल. एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी। एल. एल. एम. पूवार्द्ध में 55 % अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओबीसी हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

Scanned with CamScanner

(ख) AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होगें

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस. ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यत: भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उस्मानिया एवं काकतीय विश्वविद्यालय, जैसे बी. ए./बी. काम, डायरेक्ट वन सिटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनबीईक्यूएफ ( ) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यकक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जायें ।

विधविद्यालय अनुदान आयोग के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षणिक अर्हता सरंचना (एनएसक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है द्ध जैसा कि (एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है । वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये (एनएसक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए गए और एनएसक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा रहे है । ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10 2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे । मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जातायी है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे । अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्वपाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें ।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम/ बी. एससी. / बी. एच. एससी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: द्वितीय/ तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय र मूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जायें।

Scanned with CamScanner

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा प्रथम, द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की परीक्षा प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावें।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दियाजाएगा अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :–

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक / ऐटी –केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 07 के खण्ड 01 एवं 02 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :–

9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहा हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/ मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी। परन्तु आयु सीमा के बंधन में छात्राओं को तीन वर्ष की छूट होगी।

Scanned with CamScanner

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रयोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजें गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए पाँच वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों मे प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/ विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :–

10. 1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा :–

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में संबंद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग – अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/ स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/ एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 प्रतिशत एग्रीकेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/ तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील / जिलों कीसीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जाये। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

Scanned with CamScanner

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 32% सीटे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 12% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14% सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जायेगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती है, तो उसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) ,(ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थित, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र - पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंकों का अधिकार देकर दोनो वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिए आरक्षित होगें।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटे यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिय जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी

12.8 समय - समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाइ गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

Scanned with CamScanner

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्लूपी (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथारिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15,4,2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – We direct the centre and the state Government to take steps to treat them as socialy and educationalty backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments" का कडाई से पालन किया जाए

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन. सी. सी./एन. एस. एस./स्काउट्स :-

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/ रेन्जर्स /सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन. एस.एस. / एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन. सी. सी. / एन. एस. एस. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन. सी. सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन. सी. सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन. सी. सी./एन.एस.एस. के लिये चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अन्तर्राष्ट्रीय के लिए चयनित करने वाले विद्यार्थी को	15 प्रतिशत
13.1	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश	10 प्रतिशत
13.2	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल. एल. बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर	05 प्रतिशत

Scanned with CamScanner

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रुपांकन प्रतियोगिताऐं –

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्व विद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/ सांस्कृतिक/साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म. प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छत्तीसगढ़/म. प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :–

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स आर्थोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा संत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हे पात्रता है कि :–

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
2. यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना आवेदन महाविद्यालयमें प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण – पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेगें। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण – पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :–

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारण किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समक्षक या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र –

शासकीय महाविद्यालयों में पीएच्.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाईजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयाविधि को अधिकतम 04 वर्ष कर सकेगें। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पीएच्.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाईजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेगें। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रुप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण – पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाईजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेगें।

16. विशेष –

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबुझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रुप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेगें, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार – आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय – समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरस्त / संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

-: नियमित विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :-

- विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जिसकी रसीद दी जाती है, के अतिरिक्त कोई भी शुल्क की मांग किये जाने पर प्राचार्य को सूचित करें।
- विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र लगाकर आना अनिवार्य है।
- नियमित कक्षाओं के दौरान बरामदे में चहल-कदमी न करें।
- परिसर स्वच्छ व साफ सुथरा रखें। टायलेट को साफ-सुथरा बनाए रखें,
- खाली कालखण्डों में विद्यार्थी ग्रंथालय/वाचनालय में जाकर दैनिक अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करें।
- स्टैण्ड में ही वाहन रखें एवं ताला लगायें अथवा महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
- शालिन वेशभूषा के साथ महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करें।
- शिक्षक-अभिभावक बैठकों में अपने अभिभावक/पालक को अवश्य लायें।
- ध्यान रहे पूरा महाविद्यालय परिसर सी.सी. कैमरे की निगरानी में है।
- शैक्षणिक/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्रीड़ा गतिविधियों में अवश्य भाग लेवें।
- यूथ रेडक्रास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना में सहभागी बनें।

Scanned with CamScanner

प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश संख्या एवं अध्ययन के विषयों का निर्धारण

1. प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश संख्या एवं अध्ययन के लिए विषयों का निर्धारण :-
महाविद्यालय में उपलब्ध साधनों, कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपभोग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर विभिन्न कक्षाओं के लिए निम्नानुसार प्रवेश संख्या निर्धारित है :-

	कक्षा		सीट		कक्षा		सीट
1.	बी.ए. भाग एक	–	310	7.	एम. कॉम.	–	40
2.	बी.कॉम भाग एक +कम्प्यूटर एप्लीकेशन	–	100 +30	8.	एम.एस. सी. गणित	–	25
3.	बी.एस. सी. भाग एक (बायो)	–	170	9.	एम.ए. अंग्रेजी	–	40
4.	बी. एस. सी. भाग एक (गणित)	–	100	10.	एम.एस. सी. वनस्पतिशास्त्र	–	20
5.	एम.ए. हिन्दी	–	50	11	एमएससी प्राणीशास्त्र	–	20
6.	एम.ए. राजनीति शास्त्र	–	50				

2. स्व-वित्तिय योजना के तहत् संचालित पाठ्यक्रम एवं विषय :-
विद्यार्थी की सुविधा के लिए छग शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार निम्नलिखित विषय/पाठ्यक्रम सम्मिलित किये गये है-

1	एम.ए. अर्थशास्त्र	–	35	2	एम.ए. समाजशास्त्र	–	35
3	बीए भाग एक भूगोल	–	60	4	बी काम – 1 कम्प्यूटर एप्लीकेशन	–	30
5	बीएससी भाग एक कम्प्यूटर साइंस	–	30				

टीप : उक्त पाठ्यक्रम बीए भाग – 1 भूगोल, बीएससी– 1 कम्प्यूटर साइंस, बीकाम – एक कम्प्यूटर एप्लीकेशन की सीट उक्त स्वीकृत सीट में शामिल है

3. प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन विषय / समूह का निर्धारण निम्नानुसार है :-

(A) बी.ए. भाग – एक :-

1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन)
2. वैकल्पिक विषय – निम्नलिखित में से किसी तीन विषय का चयन करना होगा
   (1) समाज शास्त्र (2) राजनीति शास्त्र (3) हिन्दी साहित्य (4) अंग्रेजी साहित्य
   (5) अर्थशास्त्र (6) इतिहास (7) भूगोल (8) गृह विज्ञान

टीप : राजनीति या गृह विज्ञान में से केवल एक विषय का चयन कर सकते है / अंग्रेजी साहित्य /इतिहास में से कोई एक विषय का चयन कर सकते है

(B) बी.एस. सी . भाग – एक :-

1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन)
2. वैकल्पिक विषय – निम्नलिखित में से किसी तीन विषय का चयन करना होगा
   विषय समूह (1) भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान
   (2) प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर साइंस

टीप : रसायन या कम्प्यूटर विज्ञान में से केवल एक विषय का चयन कर सकते है

(C) बी.कॉम . भाग – एक :-

1. अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम (हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन)
   तथा वाणिज्य के सभी अनिवार्य विषय

स्नातकोत्तर कक्षाएं – निम्नलिखित विषयों में संख्यानुसार प्रवेश दिया जाएगा

कला संकाय – (1) हिन्दी (2) राजनीति शास्त्र (3) अर्थशास्त्र (4) अंग्रेजी (5) समाज शास्त्र
वाणिज्य संकाय – वाणिज्य (एम.कॉम)
विज्ञान संकाय – गणित, वनस्पति शास्त्र, जन्तु विज्ञान

टीप – उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाएगा।

Scanned with CamScanner

शासकीय महाविद्यालय डोंगरगाँव

सत्र 2016–17, देय शुल्क का विवरण

ए.एफ. जमा राशि :–			पी.डी. जमा राशि :–		
1	पुस्तकालय विकास शुल्क	50	1	परिचय पत्र	40
2	क्रीड़ा शुल्क	12	2	सुरक्षा निधि	100
3	सम्मिलित निधि	20	3	स्थानीय परीक्षा शुल्क त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक	60
4	सांस्कृतिक क्रार्यकम	50	4	रेडक्रास	25
5	छात्र कल्याण	50		योग :–	225
6	महाविद्यालय पत्रिका	50	शासकीय शुल्क		
7	निर्धन सहायता कोष	5	1	शिक्षण शुल्क	115
8	व्यक्तित्व विकास शुल्क	50	2	प्रवेश शुल्क	5
9	महाविद्यालय विकास शुल्क	100	3	लेखन सामग्री	5
10	चिकित्सा शुल्क	5	4	प्रायोगिक परीक्षा शुल्क	20
11	सायकल स्टैण्ड	100		योग :–	145
12	पी.जी./यू.जी. पुस्तकालय शुल्क	50			
13	शारीरिक कल्याण शुल्क	150	1	जनभागीदारी शुल्क	400
14	प्रवेश विलम्ब शुल्क	100			
15	छात्रा कक्ष	30			
16	वाचनालय शुल्क	30			
	योग :–	852			

स्ववित्तीय योजना अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम

स्ववित्तीय योजना अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम के शुल्क का वितरण :–

1. बी.एस. सी. (गणित समूह) कम्प्यूटर साइंस – 6000/–रू. प्रतिवर्ष (दो किस्त में जमा किया जा सकता है। प्रथम किस्त प्रवेश के समय द्वितीय किस्त नवम्बर माह में)
2. एम.ए. अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र प्रति सेमेस्टर 1000/– रू. प्रति छात्र/छात्रा
3. भूगोल 700/– रू. प्रति वर्ष प्रवेश के समय जमा करना होगा।
4. बी.कॉम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 5000/– रूपये प्रति वर्ष (दो किस्त में जमा किया जा सकता है। प्रथम किस्त प्रवेश के समय द्वितीय किस्त नवम्बर माह में)

Scanned with CamScanner

ग्रंथालय एवं वाचनालय

ग्रंथालय एवं वाचनालय :-

अध्ययन व अध्यापन को सुचारु रुप से संचालित करने में ग्रंथालय की भूमिका अद्वितीय है. छात्रों को इनके उपयोग हेतु प्रवेशोपरांत पंजीयन कराना होता है. पुस्तकों के निर्गमन के समय परिचय-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है .

1. छात्र एक बार में दो पुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिये प्राप्त कर सकते है. निर्धारित अवधि के पश्चात् पुस्तक लौटाने पर 20 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा.
2. छात्र/छात्रा पुस्तक ले जाने से पूर्व उसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें. यदि पुस्तक विकृत हो या कोई पन्ना न हो तो उसकी सूचना तुरंत ग्रंथपाल को दें. पुस्तक निर्गमन के पश्चात् पुस्तक विकृत होने पर समस्त दायित्व विद्यार्थी का होगा. पुस्तक के दुगुनी कीमत के साथ 10/-रु. अर्थदंड वसूल किया जाएगा.
3. वाचनालय में पत्र/पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है उसका निर्गमन नहीं होगा.
4. पुस्तकालय की शांति भंग करना, अव्यवस्था फैलाना, नुकसान पहुंचाना गंभीरतम अपराध है. ऐसे अपराधी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है.
5. पुस्तकें गुमने पर पुस्तक के बदले पुस्तक ली जायेगी, अथवा बाजार भाव के अतिरिक्त आर्थिक दंड लिया जायेगा.
6. एम.सी.,एस.टी. विद्यार्थियों हेतु बुक बैंक योजना का भी प्रावधान है.

ग्रंथालय एवं वाचनालय में संदर्भ ग्रंथों, पत्रिकाओं एवं अन्य पुस्तकों का संग्रह अध्ययन हेतु उपलब्ध है तथा छात्र अपना परिचय-पत्र जमा कर ग्रंथालय में ही उनका अवलोकन/अध्ययन कर सकते हैं।

पुस्तकों की वापसी :-

1. महाविद्यालय में इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं की अंकसूची/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तभी प्रदान किये जायेगे, जब वे प्रदाय की गई सभी पुस्तकें वापस करेंगे.
2. छात्र, जो 15 दिवस तक यदि महाविद्यालय में अध्ययन में अनुपस्थित होते हैं, तो उनके द्वारा ली गई पुस्तक/पुस्तकें अविलंब प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लिखा जाएगा.
3. पुस्तकें वापस नहीं किये जाने पर उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
4. प्रत्येक माह प्राचार्य द्वारा संबंधित छात्र के पुस्तकें वापस नहीं किये जाने की सूचना छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, तथा संचालनालय को ऐसे समस्त छात्रों की गई कार्यवाही से अवगत कराएंगे.
5. अनुशासन समिति भी उक्त प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर करेगी.
6. संबंधित प्राध्यापक/ग्रंथपाल का उत्तरदायी होगा कि उपरोक्त प्रक्रिया अक्षरश: पालन किया जावे और उस संबंध के सभी अभिलेख व्यवस्थित रखे जायें अन्यथा पुस्तकों की वापसी न होने पर पुस्तकों की कीमत संबंधित ग्रंथपाल/प्राध्यापक से वसूल की जावेगी.
7. सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के पश्चात् जो छात्र सत्र उपरांत पुस्तकें वापस नहीं करेंगे उनके खिलाफ थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी तथा संचालनालय को तत्संबंधी सूचना देंगे.

विशेष :- महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित साहित्य उपलब्ध है. विद्यार्थी अध्ययन कक्ष में बैठकर उसका अध्ययन कर सकेंगे.

Scanned with CamScanner

शारीरिक शिक्षा विभाग

विद्यार्थियों के चहुमुंखी के विकास के लिये पाठ्यक्रम शिक्षा के साथ–साथ शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा विभाग द्वारा खेलकूद का प्रशिक्षण दिया जाता है. राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके विद्यार्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी. राज्य शासन द्वारा घोषित नीति के तहत छात्र/छात्रा को किसी न किसी खेल में प्रतिभागी होना अनिवार्य है. महाविद्यालय में निम्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण देकर राज्य स्तरीय, विश्वविद्यालयीन स्तर प्रतियोगिता हेतु टीम का चयन क्रीड़ा समिति के तत्वाधान में किया जाता है –

1. क्रिकेट (म, पु,)
2. बैडमिन्टन (म, पु,)
3. हॉकी
4. फुटबॉल
5. कबड्डी (म, पु,)
6. व्हालीबॉल (म, पु,)
7. शतरंज (म, पु,)
8. खो–खो (म, पु,)
9. टेबिल–टेनिस (म, पु,)
10. एथलेटिक्स (म, पु,)

महाविद्यालय में क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के संपादन हेतु हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल हेतु खुले क्रीड़ांगन तथा बैडमिन्टन हेतु महाविद्यालय भवन के अंदर आंगन में खेलने की अविकसित सुविधा है साथ ही टेबिल–टेनिस की भी सुविधा है. शीघ्र ही यूजीसी क सहयोग से इंडोर स्टेडियम की सुविधा छात्र छात्राओं को उपलब्ध है

मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण (SDI)

मुख्यमंत्री कौशल विकास शिक्षण कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय का पंजीयन हो चुका हे, जिसके तहत पूर्व में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण सपलतापूर्वक सम्पन्न कराया जा चुका है,

(डॉ. श्रीमती बी,एन,मेश्राम)
प्राचार्य
शास.डॉ बा सा भी अंबेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव

Scanned with CamScanner

नियमित विद्यार्थी के रुप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है.
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है.
3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जाएगा.
4. उपस्थित की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जाएगी.
5. कम उपस्थित वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जाएगी.
6. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जाएगी.
7. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेगा.
8. सत्र 2006-2007 से आधार पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण होने के लिये पृथक-पृथक 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है.
9. महाविद्यालय में त्रैमासिक अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक पूर्व परीक्षा आयोजित होती है जिसमें बैठना अनिवार्य है. विद्यार्थियों की प्रगति से पालकों को अवगत कराया जायेगा.

छात्र-पालक समिति

महाविद्यालय में छात्र-पालक समिति का गठन किया गया हैं. विद्यार्थियों की प्रगति से पालकों की बैठक बुलाकर जानकारी दी जावेगी तथा पालकों से आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किये जावेंगे.

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया

नियमोपनियम

महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रखता है कि :-

1. महाविद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश मूलत: विद्या अध्ययन के लिये हुआ है. छात्र होने के नाते उसका ज्ञान, उत्साह एवं व्यक्तित्व उसके क्रियाकलापों से परिलक्षित होना चाहिए.
2. महाविद्यालय के समस्त नियम विद्यार्थियों को संस्था की गरिमा बनाए रखते हुए महाविद्यालयीन संसाधनों के अनुकूल उपलब्ध व्यवस्था का उपयोग करते हुए अध्ययन करना चाहिए.
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थी दलगत राजनीति व प्रदर्शन से दूर रहते हुए शांति व व्यवस्था को बनाये रखते हुए महाविद्यालय प्रशासन में अपना सहयोग देंगे.
4. उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग., पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से प्राप्त होने वाले आदेशों, निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे.
5. प्राचार्य को यह अधिकार है कि निम्न कारणों के संदर्भ में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर सकता है :-
   (अ) अध्यादेश क्र.6 नियम (13) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के उल्लंघन करने पर.
   (ब) निर्धारित समय के अंत तक महाविद्यालय शिक्षण शुल्क या अन्य देयताओं के भुगतान न करने पर.
   (स) प्राचार्य की सम्मति से विद्यार्थी का आचरण संतोष जनक न होने पर.
   (द) जिलाध्यक्ष/आयुक्त/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त काली सूची में नाम शामिल होने पर.
   (इ) किसी भी प्रार्थना पत्र, आवदेन पत्र में गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने पर.
6. अपरिहार्य कारणों से महाविद्यालय में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को 15 दिन पूर्व व विशिष्ट कारणों पर 7 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
7. प्राचार्य को विवरण पत्रिका में दिये गये नियमों में संशोधन का अधिकार है. विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित कर दे, इस संबंध में कानूनी कार्यवाही का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है.

Scanned with CamScanner

धरोहर राशि

1.	स्नातक कला, वाणिज्य व विज्ञान	–	100.00
2.	स्नातकोत्तर–कला, वाणिज्य व विज्ञान	–	100.00

- विश्वविद्यालयीन शुल्क -

1.	विश्वविद्यालयीन शारीरिक शिक्षा शुल्क	–	150.00
3.	नाम/उपनाम में परिवर्तन शुल्क	–	150.00
4.	अप्रवासन शुल्क (यदि आवेदक ने छत्तीसगढ़ के बाहर के किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा विदेशी छात्रों से)	–	300.00

परीक्षा शुल्क :– निर्धारित परीक्षा शुल्क अक्टूबर, नवंबर माह में देय होगा.
या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के अनुरुप

नोट :–

1. सभी प्रकार के शुल्कों में छत्तीसगढ़ शासन/रविशंकर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है.
2. प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिलने पर शैक्षणिक शुल्क संपूर्ण सत्र के लिए अनिवार्य है. महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि या महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से इसका कोई संबंध नहीं है. केवल छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शासकीय संस्था में स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश होने की अवस्था में जितनी अवधि के लिए छात्र शिक्षण–शुल्क का भुगतान कर चुका है, उसे शुल्क पुन: नहीं देना होगा. ऐसे छात्र को महाविद्यालय के शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण––पत्र प्रस्तुत करना होगा.
3. पूरक प्राप्त छात्रों को प्रवेश के समय तीन माह का अध्यापन शुल्क भुगतान करने संबंधी आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा.

Scanned with CamScanner

- शुल्क संबंधी रियायतें -

1. समस्त छात्राओं को स्नातकोत्तर तक के अध्ययन के लिए शैक्षणिक शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क से मुक्त किया गया है.
2. भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्रियों को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षण एवं प्रायोगिक शुल्क नहीं देय होगा.
3. प्रथम उपाधि स्तर पर समस्त तृतीय व चतुर्थ वर्ग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के तथा सी वर्ग के मृत शासकीय सेवकों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में छूट है
4. श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया स्वरुप हुए दंगों में मृत व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को स्नातक स्तर तक की नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा सकेगी.
5. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शिक्षण शुल्क मुक्त है. इसके लिए उन्हें जिलाधीश द्वारा अधिकृत अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा.

- शासकीय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये रियायतें -

अ. राज्य के ऐसे द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी जो चौधरी वेतनमान में 1450/– रु. तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वेतन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें शिक्षण शुल्क में छूट है. स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों को छूट का प्रावधान नहीं है.

ब. शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में छूट है. स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों को यह रियायत नहीं है.

स. शुल्क में रियायत, माता/पिता द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख से प्रमाणित वेतन प्रमाण–प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी.

द. यदि कोई छात्र/छात्रा अनुत्तीर्ण होता है तो उसे शुल्क में रियायत नहीं मिलेगी. उत्तीर्ण होने पर पुन: सुविधा प्राप्त होगी.

इ. यदि छात्र द्वारा अनुशासनहीनता या हड़ताल में भाग लिया जाना पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के यह सुविधा समाप्त की जा सकेगी.

फ. यदि राजनैतिक पीड़ितों के बालक उसके लिए निर्दिष्ट छात्रवृत्ति के उपयुक्त सिद्ध नहीं होते हैं, उसी स्थिति में यह शिक्षण–शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेंगे, परंतु किसी भी हालात में उन्हें दोनों सुविधाओं का उपयोग का अधिकार नहीं होगा.

ज. यदि दो या दो से अधिक भाई एक ही सत्र में इसी संस्था में अध्ययनरत है तो बड़े भाई को पूर्ण शुल्क व शेष को आधा शिक्षण शुल्क देना होगा.

झ. कृषकों के लिए सुविधा–इसके अंतर्गत उन कृषकों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में शासन द्वारा निर्धारित दर पर रियायतें दी जाएगी, जिनके पास 20 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो.
शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क पटाने होंगे. कृषक रियायत पात्रता प्राप्त करने के लिए इस आशय का प्रमाण–पत्र जिलाधीश द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना होगा.

Scanned with CamScanner

- प्रवेश प्रक्रिया -

अ. आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय प्राचार्य द्वारा सूचित किया जाएगा.

ब. प्रवेश के लिए निर्धारित तथा छपे हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है :-

1. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति.
2. हायर सेकेण्ड्री (10+2) अंकसूची की सत्यापित प्रतिलिपि.
3. चरित्र प्रमाण-पत्र की सत्यप्रतिलिपि.
4. पिछली परीक्षाओं की अंकसूची की सत्यप्रतिलिपि.
5. जाति प्रमाण-पत्र (अनु.जाति./जनजाति/पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए) की सत्यप्रतिलिपि.
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र की सत्यप्रतिलिपि.
7. विकलांगत प्रमाण-पत्र की सत्यप्रतिलिपि.
8. एन.सी.सी./एन.एस.एस. के प्रमाण पत्र की सत्यप्रतिलिपि.
9. क्रीड़ा संबंधी (जिसमें संभाग, प्रदेश या देश का प्रतिनिधित्व किया हो) प्रमाण-पत्र की सत्यप्रतिलिपि.
10. साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित (जिले से उच्च स्तर में प्रतिनिधित्व) प्रमाण-पत्र की सत्यप्रतिलिपि.
11. वचन-पत्र.
12. व्यक्तिगत विवरण-पत्र.
13. बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड की सत्यप्रतिलिपि.

    अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है.
14. अपना पता लिखा हुआ तीन पोस्ट कार्ड संलग्न करें.
15. आधार कार्ड की सत्यप्रतिलिपि

स. प्रवेश पत्र के स्वीकृत हेतु सामान्य बातें :-

1. स्नातक छात्रों को प्रवेश समिति के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा.
2. स्नातकोत्तर छात्रों को प्रवेश विभागाध्यक्ष के माध्यम से दिया जाएगा.
3. कार्यालय में निर्धारित शुल्क समय पर जमा होने पर ही प्रवेश मान्य होगा.

Scanned with CamScanner

प्रवेश संबंधी विश्वविद्यालय का निर्देश

1. छ.ग. शिक्षा मंडल तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य प्री-डिग्री यूनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के संबंध में छात्रगण कार्यालय से मार्गदर्शन लें.

2. छात्रों के लिए आचार संहिता :-
   (1) प्रत्येक छात्र अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित प्रकार के अध्ययन पर लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा अनुमोदित पाठ्यक्रम में भी पूरा सहयोग देगा.
   (2) कक्षाओं में पूरी तरह अध्यापन में सहयोग देगा. बिना प्राचार्य की अनुमति केकक्षा अथवा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं रहेगा.
   (3) प्रत्येक छात्र अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों से नम्रता का व्यवहार करेगा और कभी अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा.
   (4) महाविद्यालय परिसर में किसी भी मादक पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित है.
   (5) छात्रों को अपनी समस्याओं का प्रस्तुतीकरण निर्धारित प्रणाली से और शांतिपूर्वक करना होगा.
   (6) आंदोलन, हिंसा और आतंक द्वारा किसी भी समस्या का हल करने का मार्ग छात्र नहीं अपनाएगा.

3. अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों का उद्धरण :-
   म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक-7 की धारा-1 के अनुसार महाविद्यालय के किसी छात्र/छात्रा के द्वारा महाविद्यालय अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचार किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दंड का प्रावधान है :-
   (क) निलम्बन
   (ख) निष्कासन
   (ग) रेस्टिकेशन
   (घ) विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना.

4. उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :-
   छ.ग. विश्वविद्यालय निमय, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक-7 के अनुसार नियमित (महाविद्यालय के) छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है. उपस्थिति की समीक्षा, सितंबर, दिसंबर एवं फरवरी में की जाएगी. कम उपस्थिति वाले छात्र का नाम उपस्थिति पंजी से निरस्त कर दिया जाएगा.

Scanned with CamScanner

स्वर्ण पदक – मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

महाविद्यालय द्वारा मेधावी छात्रों के आधार पर कक्षावार , विभिन्न विषयों के लिए स्वर्ण पदक (बाहर के गणमान्य नागरिकों, द्वारा दान स्वरुप) प्रदान किये जाते हैं। जिससे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन हो सकें।

क्र.	स्वर्ण पदक का नाम	दानदाताओं के द्वारा प्रदत्त	कक्षा
1.	श्रीमती कमला देवी स्वर्ण पदक श्री गुलाबचंद नखत	श्री दिनेश नखत, सदर लाईन डोंगरगाँव	बी.काम. भाग 1
2.	स्व. श्री बंशीलाल धनश्याम शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक	श्री दीपक शर्मा, दीपक भोजनालय मेन रोड, डोंगरगाँव	बी.काम. भाग 2
3.	स्व. श्री मोहन लाल जी गाँधी स्मृति स्वर्ण पदक	श्री नारायण दास जी गाँधी, सदर लाईन, डोंगरगाँव	बी.काम. भाग 3
4.	स्व. श्री रामेश्वर राम महोबिया स्मृति स्वर्ण पदक	श्री ओम/राकेश महोबिया, ठा. प्यारेलाल वार्ड नं. 3, राजनांदगाँव	एम.काम. पूर्व
5.	स्व. श्री कोमल राम देवांगन स्मृति स्वर्ण पदक	श्री बी.के. देवांगन, म.नं. 44, सृष्टि कॉलोनी, राजनांदगाँव	एम.काम. अंतिम
6.	स्व. श्री बंशीलाल जी शाह स्मृति स्वर्ण पदक	श्रीमती हंसा बेन शाह, सदर लाईन डोंगरगाँव	बी.ए. भाग 1
7.	स्व. श्री शंकर लाल जी गुप्ता स्मृति स्वर्ण पदक	श्री रामकुमार गुप्ता, मटिया रोड, डोंगरगाँव	बी.ए. भाग 2
8.	स्व. श्रीमती लक्ष्मी देवी सोनी स्मृति स्वर्ण पदक	श्री प्रकाशचंद सोनी, राम द्वारा गेट के पास, मेन रोड डोंगरगाँव	बी.ए. भाग 3
9.	स्व. श्री एस. महादेव अय्यर स्मृति स्वर्ण पदक	श्री मोहन अय्यर, मटिया रोड, डोंगरगाँव	बी.एस. सी भाग 1 (बायो)
10.	स्व. श्री डालचंद जैन स्मृति स्वर्ण पदक	श्री धन्य कुमार जैन, आरी कोनारी, डोंगरगाँव	बी.एस. सी भाग 2 (बायो)
11.	स्व. श्री सुखदेव लहरे स्मृति स्वर्ण पदक	श्री डॉ. एन. के. लहरे, मटिया रोड, डोंगरगाँव	बी.एस. सी भाग 3 (बायो)
12.	स्व. श्री परमसुख दास टावरी स्मृति स्वर्ण पदक	श्री सगतमल टावरी, मेन रोड, डोंगरगाँव	बी.एस. सी भाग 1 (गणित)
13.	स्व. श्री रामलाल जी बोहरा स्मृति स्वर्ण पदक	श्री प्रकाशचंद गौतमचंद बोहरा, सदर लाईन, डोंगरगाँव	बी.एस. सी भाग 2 (गणित)
14.	स्व. श्री मीरा देवी गाँधी स्मृति स्वर्ण पदक	श्री मानिक गाँधी, सदर लाईन, डोंगरगाँव	बी.एस. सी भाग 3 (गणित)
15.	स्व. श्री विजय लाल जी चोपड़ा स्मृति स्वर्ण पदक	श्री हेमन्त चोपड़ा, मेन रोड, डोंगरगाँव	एम.ए. पूर्व (राजनीति)
16.	स्व. श्री बुधरू राम साहू स्मृति स्वर्ण पदक	मान. श्री खेदूराम जी साहू, विधायक एल.बी. नगर, डोंगरगढ़	एम.ए. अंतिम (राजनीति)
17.	स्व. श्री हीराराम जी वर्मा स्मृति स्वर्ण पदक पूर्व विधायक	श्रीमती चित्रलेखा वर्मा/श्री कामदेव वर्मा नोटरी, हाउसिंग बोर्ड, राजनांदगाँव	एम.ए. पूर्व (हिन्दी)
18.	स्व. श्री एस. जयराम अय्यर स्मृति स्वर्ण पदक	श्री एच.एच. अय्यर, मटिया रोड, डोंगरगाँव	एम.ए. अंतिम (हिन्दी)
19.	श्री आशाराम जी टावरी स्वर्ण पदक	श्री आशाराम जी टावरी, मेन रोड, डोंगरगाँव	एम.एस. सी. पूर्व (गणित)

Scanned with CamScanner

क्र.	स्वर्ण पदक का नाम	दानदाताओं के द्वारा प्रदत्त	कक्षा
20.	श्री दामोदर दास जी टावरी स्वर्ण पदक	श्री दामोदर दास जी टावरी, वार्ड नं. 6, चौकी रोड, डोंगरगाँव	एम.एस.सी.अंतिम (गणित)
21.	स्व. कु. ख्याति यदु स्मृति स्वर्ण पदक	श्री शैलेन्द्र यदु, मेन रोड, डोंगरगाँव	एम.एस.सी.पूर्व (वन. शास्त्र)
22.	स्व. श्री विनोद गोयल स्मृति स्वर्ण पदक	श्री एल.पी. गोयल, महेन्द्र नगर, लाल बाग, राजनांदगाँव	राष्ट्रीय सेवा योजना के श्रेष्ठ छात्र
23.	स्व. श्री रूपचंद जी जैन स्मृति स्वर्ण पदक	श्री उत्तमचंद सुधेश कुमार जैन, सदर लाईन, डोंगरगाँव	सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपलब्धि
24.	स्व. श्रीमती कमला देवी अग्रवाल स्मृति स्वर्ण पदक	कु. शीतल अग्रवाल, श्री प्रमोद अग्रवाल, सदर लाईन, डोंगरगाँव	बी.एस.सी. स्नातक स्तर में सर्व श्रेष्ठ अंक
25.	श्रीमती राधा हिरवानी श्री परमदास हिरवानी स्वर्ण पदक	श्री गुलशन हिरवानी, मेन रोड, डोंगरगाँव	खेलकूद में श्रेष्ठ उपलब्धि
26.	श्रीमती फुलिया बाई स्वर्ण पदक	श्रीमती सरस्वती गिरिया/श्रीमती चित्रलेखा वर्मा, H.I.G.-62, हाउसिंग बोर्ड, कौरिन भाठा, राजनांदगाँव	स्नातक कक्षा में महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक
27.	डा अम्बेडकर स्वर्ण पदक अधिकारी, राजनांदगांव	डा पन्नालाल वासनिक, जिला आयुर्वेदिक	एम.ए. पूर्व (अर्थशास्त्र)
24.	डा अम्बेडकर स्वर्ण पदक	डा विजय कुमार उइके,नेत्र रोग विशेष,राजनांदगांव	एम.ए. पूर्व (अंग्रेजी)

-: छात्रवृत्तियां :-

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

पोस्ट मैट्रिक आदिम जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आय सीमा - 200000. 00 (दो लाख से अधिक न हो)
पिछड़ा वर्ग - 100000.00 (एक लाख से अधिक न हो)

संलग्न - आय की मूल प्रति , जाति (तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित) एवं अंकसूची की छायाप्रति, गेप होने पर गेप सर्टिफिकेट, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति। (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑन लाईन द्वारा भरा जावेगा।)

2. बी. पी. एल. छात्रवृत्ति (गरीबी रेखा से नीचे)

छात्र - छात्रा के माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे कार्डधारी हो।

संलग्न - आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति (24000.00 से अधिक न हो) तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, जातिप्रमाण पत्र, अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, इलाहाबाद बैंक का खाता क्रमांक की छायाप्रति।

3. योग्यता सह-साधन छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत से अधिक प्राप्त छात्र-छात्राओं को)

संलग्न - आय 1 लाख से अधिक न हो आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, बारहवीं अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति।

4. केन्द्रीय छात्रवृत्ति (80 प्रतिशत से अधिक छात्र-छात्राओं को)

संलग्न - बारहवीं अंकसूची की छायाप्रति , प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, नोटरी द्वारा शपथ पत्र आय की मूलप्रति।

Scanned with CamScanner

नये प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को अपना खाता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डोंगरगाँव में खोला जाना अनिवार्य है.

बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति

नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति की योजना लागू की जानी है जो निर्धनता एवं संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति के आधार पर विशेष रुप से देय होगी. कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य में जहाँ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार काफी संख्या में निवास करते हैं, जिनके बच्चे किसी तरह से स्कूल शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते है, क्योंकि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान नहीं कर पाते या भुगतान करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के रुप में सुविधा प्रदान किया जाना अतिआवश्यक है.

उद्देश्य :-

इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में स्नातक/स्नातकोत्तर के कक्षाओं में पढ़ने वाले बी.पी.एल. वर्ग के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता के रुप में सहयोग प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें.

इस प्रकार ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश सुनिश्चित करने एवं उच्च शिक्षा के साथ उनका आत्मविश्वास संवर्धन करने के लिए बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति योजना प्रस्तुत की जा रही है.

1. एकीकृत पुनरीक्षित छात्रवृत्ति नियम 1968 म.प्र. के तहत बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति नियम 2005 छत्तीसगढ़ बनाया जा रहा है.
2. यह बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति नियम 2005 कहलाएगा.
3. इन नियमों में :-
   - (क) इस छात्रवृत्ति से तात्पर्य ऐसे छात्र/छात्राओं के लिए नियतकालीन भुगतानों से है जिनके माता/पिता छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय प्रावधानों के तहत बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) कार्डधारी हो तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर सामान्य शिक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत् हो.
   - (ख) इस छात्रवृत्ति से तात्पर्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं आगे अध्ययन जारी रखने के इच्छुक छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन देने हेतु किये गये नियतकालीन भुगतानों से है.
   - (ग) संतोषजनक प्रगति से तात्पर्य प्रथम प्रयास में वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से है.
   - (घ) नियमित विद्यार्थी से तात्पर्य किसी छात्र/छात्रा को मंडल/विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह होने हेतु मंडल/विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित उपस्थिति के न्यूनतम प्रतिशत से है.
   - (ड) नियमित प्रवेश हेतु पात्रता का परीक्षण कर लिया जाए.
4. भुगतान :-
   - (क) छात्रवृत्ति राशि DBT के तहत विद्यार्थी के खाते में सीधे स्थानांतरित की जाती है.
   - (ख) विवाहित छात्राओं के लिए :-
     - (क) प्रसूति के कारण तीन माह तक अनुपस्थिति पर पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी.
     - (ख) यदि ऐसी अनुपस्थिति तीन माह से अधिक हो तो कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी.

   उपर्युक्त स्थिति में छात्रवृत्ति तभी दी जायेगी जब संस्था प्रमुख आवेदन पत्र पर सिफारिश करें और यह प्रमाणित करें कि छात्र/छात्रा अध्ययन की शेष अवधि के दौरान अपने अध्ययन की कमी को पूरा कर सकेगा.

Scanned with CamScanner

5. नवीनीकरण, निलंबन रद्द करना :-

(1) नियमों के अधीन छात्रवृत्ति छात्र की संतोषजनक प्रगति, सदाचरण व अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उस अध्ययन क्रम की अवधि पूरी होने तक, जिसके लिए वह दी गई हो, प्रतिवर्ष नवीनीकृत की जावेगी.

(2) यदि किसी छात्र को पूरक मिले तो छात्रवृत्ति निलंबित कर दी जाएगी तथा यदि वह पूरक परीक्षा में उसी वर्ष उत्तीर्ण हो जाये तो उसकी छात्रवृत्ति नवीनीकृत कर दी जायेगी, ऐसी नवीनीकरण पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से प्रभावी होगी, लेकिन पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण न हो तो छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी.

(3) सदाचार तथा नियमित उपस्थिति भी छात्रवृत्ति को जारी रखने का शर्त है.

1. पूरी छात्रवृत्ति, यदि अनुपस्थिति दो माह से अधिक न हो.
2. आधी छात्रवृत्ति, यदि ऐसी अनुपस्थिति 2 माह से अधिक किन्तु 4 माह से अधिक न हो.

(4) "अर्हकारी परीक्षा" से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिसे उत्तीर्ण कर पाने पर कोई भी उम्मीदवार अध्ययन के किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अर्ह हो जाये.

6. सामान्य नियम व शर्तें :-

इस छात्रवृत्ति का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से आने वाले सभी छात्र/छात्राओं को प्रदान किया जाएगा.

1. छात्र छत्तीसगढ़ का निवासी हो.
2. छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो.
3. यह छात्रवृत्ति उन्हीं छात्र/छात्राओं को दी जाएगी जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं में नियमित विद्यार्थी के रूप अध्ययनरत हों.
4. छात्रवृत्ति पाने वाले किसी छात्र का राज्य के भीतर किसी एक शिक्षण संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण होने पर उसे स्थानांतरित की गई संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त होगा, बशर्ते कि वह उसी अध्ययन क्रम को जारी रखे जिसके लिये प्रारंभ में छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी.
5. छात्रवृति का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य शासन अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया बी.पी.एल. कार्ड/प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
2. अवधि :- नियमों के अधीन छात्रवृत्ति अवधि 10 माह के शिक्षा वर्ष जुलाई से अप्रैल तक दी जायेगी.

7. बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति की दर :-

छात्रवृत्ति का नाम	पाठ्यक्रम	निर्धारित संख्या	अवधि	दर
बी.पी.एल	स्नातकोत्तर	-	10 माह	500/- प्रतिमाह
छात्र कल्याण छात्रवृत्ति	स्नातक	-	20 माह	300/- प्रतिमाह

महाविद्यालय के प्राचार्य एक समिति के परामर्श से जिसमें प्राचार्य तथा शिक्षक (प्राध्यापक) वर्ग के दो वरिष्ठतम् सदस्य होंगे, नियमों के अधीन बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों की सूची बनाकर अनुशंसित करेंगे.

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय महाविद्यालयों के लिये
बी.पी.एल. बुक बैंक योजना

राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञापन क्रमांक ..... दिनांक ..... के अनुसार अनुमोदित।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिये नि:शुल्क बुक बैंक योजना स्थापित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :-

ये नियम छत्तीसगढ़ बी.पी.एल. बुक बैंक योजना, 2005 कहलायेंगे और आदेश प्रसारित होने के दिनांक से प्रभावी होंगे. छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय महाविद्यालयों में यह योजना लागू की जावेगी.

2. सामान्य शर्तें एवं पात्रता :-

1. इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र धारी परिवार के छात्र-छात्राओं को प्रदान किया जाएगा, जिन्हें राज्य शासन अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. (महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन-पत्र के साथ जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों के साथ बी.पी.एल. प्रमाण को भी संलग्न करने का उल्लेख महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका में किया जाए.)
2. जो छात्र नियमित रुप से महाविद्यालय में अध्ययन एक महीने करेंगे, उन्हें ही बुक बैंक योजना के तहत पुस्तकें प्रदान की जाएगी.
3. प्रदाय करने की अवधि :- योजना के अंतर्गत नियमित छात्र/छात्राओं के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये पाठ्यपुस्तकें महाविद्यालय द्वारा खरीद कर प्रदान की जावेगी.

Scanned with CamScanner

महाविद्यालयीन समितियाँ

छात्रों, शिक्षकों व प्रशासन में तालमेल बनाये रखने एवं चुस्त-प्रबंधन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर अपने कार्यो व दायित्वों का निर्वहन करती है :-

1. महाविद्यालय प्रबंधन समिति
2. प्रवेश समिति
3. क्रीड़ा समिति
4. छात्रवृत्ति समिति
5. अनुशासन समिति
6. निर्धन छात्र सहायता कोष समिति
7. युवा उत्सव समिति
8. छात्र उपस्थिति संकलन समिति
9. शिकायत समिति
10. महाविद्यालय परिसर विकास समिति
11. लेखा जॉच समिति
12. यू.जी.सी. समिति
13. स्थापना एवं परामर्श समिति
14. रैगिं समिति
15. क्रय समिति
16. उपलेखन समिति
17. ग्रंथालय एवं वाचनालय समिति
18. रोजगार एवं कैरियर गाइड समिति
19. सम्मिलित निधि समिति
20. महाविद्यालय पत्रिका समिति
21. समय सारिणी समिति
22. पदक पुरस्कार समिति
23. स्वागत एवं बिदाई समारोह समिति
24. शैक्षणिक प्रयास समिति
25. ट्यूशन निगरानी समिति
26. नैक कार्यान्वयन समिति
27. छात्र-पालक समिति
28. महिला प्रकोष्ठ
29. आई. क्यू. ए. सी.

महाविद्यालय स्थानीय प्रबंध समिति

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-73/697/सी-33 दिनांक 30.09.96 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय के प्रबंधन में जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसमें महाविद्यालय परिवार के सदस्य तथा जनप्रतिनिधि सम्मिलित होकर महाविद्यालय विकास हेतु प्रयास करते हैं, इसके अंतर्गत तीन समितियाँ होती है - सामान्य परिषद, प्रबंध समिति एवं वित्त समिति जिनके द्वारा नियमानुसार दायित्वों का संपादन किया जाता है.

Scanned with CamScanner

विद्यार्थी सहायता कोष

इस कोष के आबंटन हेतु गठित समिति का नाम शासकीय डॉ.बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय विद्यार्थी सहायता समिति है.

1. उद्देश्य :-

इस समिति का उद्देश्य निर्धन तथा प्रतिभावान छात्रों को उनके अध्ययन, शुल्क, पुस्तकें खरीदने में सहायता, आवश्यकता पड़ने पर समिति उन्हें छात्रावास के मेस पर खाने में सहायता तथा दवाई के खर्च में सहायता देता है.

2. सहायता कोष समिति का गठन :-

अ.	अध्यक्ष	–	प्राचार्य
ब.	उपाध्यक्ष	–	प्राचार्य द्वारा मनोनीत दो वरिष्ठ प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक
स.	सदस्य	–	प्राचार्य द्वारा मनोनीत दो वरिष्ठ प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक
द.	छात्र प्रतिनिधि	–	छात्र संघ अध्यक्ष व सचिव

3. अवधि :-

अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी का कार्यकाल एक शैक्षणिक सत्र है.

4. आय के स्त्रोत :-

(अ) प्रत्येक विद्यार्थी, जो महाविद्यालय में प्रवेश लेगा, उससे पाँच रुपये इस कोष हेतु शुल्क के साथ लिया जाएगा, जिसका उल्लेख रसीद में होगा.

(ब) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त होता है जो विद्यार्थियों से ली गई राशि से दुगुना होता है.

5. पात्रता :-

निम्नांकित श्रेणी के विद्यार्थियों को कोष से सहायता लेने की पात्रता होगी –

(अ) वे विद्यार्थी जिनके पिता अथवा पालक की आय रु. 900/– मासिक से कम हो.

(ब) जो किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो.

(स) जो वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण न हो/अन्य किसी कारणों से उसी कक्षा में न हो.

(द) आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर होगी.

Scanned with CamScanner

उच्च शिक्षा विभाग का सिटीजन चार्टर

(1) उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी है. विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उच्च शिक्षा के अध्ययन/अध्यापन के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित है, जिनका शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर विभाग एवं विश्वविद्यालय का नियंत्रण है.

(2) जन साधारण के अपेक्षाओं के अनुरुप महाविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बनाये रखने के कार्य में उच्च शिक्षा विभाग प्रयासरत है. शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित कार्यों के संबंध में समय-समय पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

स. क्र.	विवरण	जिम्मेदारी अधिकारी	समय सीमा	निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही न होने की दशा में किस स्तर के अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
1	2	3	4	5
1.	सभी प्रकार के रिकार्डों का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य	आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा
2.	महावि. के लिए प्राचार्य द्वारा क्रय की गई सामग्री देयकों का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य		

(3) उपरोक्त कॉलम-2 में अंकित अधिकारी के समय-सीमा में कार्यवाही न किये जाने की शिकायत या अन्य प्रकार की शिकायत भी की जा सकती है. मंत्रालय स्तर पर अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो जन शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते हैं. आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य को जन शिकायत निराकरण के लिये जिम्मेदार बनाया गया है. शिकायतों के निराकरण के लिये महाविद्यालय स्तर पर एवं संभाग स्तर पर 15 दिन तथा राज्य स्तर पर 30 दिन की समय-सीमा निश्चित की गई है.

प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय मे आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय व्यवहार का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एंव भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर – उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नही करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दगलत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

Scanned with CamScanner

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एन.एस.एस. में भी लागू होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाईयों के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण मना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैंगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय – सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

शुल्क

विश्वविद्यालय, शासन एवं महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा, जिसकी सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर लगाई जाएगी.

Scanned with CamScanner

शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगांव

1.	प्राचार्य	-	डॉ. श्रीमती वी.एन. मेश्राम	
2.	प्राध्यापक राजनीति	-	रिक्त	
3.	प्राध्यापक अंग्रेजी	-	रिक्त	
4.	प्राध्यापक गणित	-	रिक्त	
5.	प्राध्यापक वनस्पति	-	रिक्त	
6.	प्राध्यापक जन्तुविज्ञान	-	रिक्त	
7.	प्राध्यापक वाणिज्य	-	रिक्त	
8.	सहायक प्राध्यापक वाणिज्य	-	1. डॉ. ए.के. धमगाये	2. श्री बी. महोबिया
9.	सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र	-	रिक्त	
10.	सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र	-	श्री गणेश नेताम	
11.	सहायक प्राध्यापक राजनीति	-	श्री के.आर. ठाकुर	
12.	सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी	-	रिक्त	
13.	सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र	-	रिक्त	
14.	सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र	-	रिक्त	
15.	सहायक प्राध्यापक गणित	-	श्री चेतन कुमार साहू	
16.	सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र	-	सुश्री रेणुका ठाकुर	
17.	सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र	-	रिक्त	
18.	सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान	-	रिक्त	
19.	ग्रंथपाल	-	रिक्त	
20.	क्रीड़ा अधिकारी	-	रिक्त	
21.	सहायक ग्रेड - दो	-	रिक्त	
22.	सहायक ग्रेड - तीन	-	श्रीमती पुष्पा गंजीर	
23.	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	1. श्री आर.एस. ध्रुव	2. रिक्त
24.	प्रयोगशाला परिचारक	-	1. श्रीमती आरती बोरकर	2. श्री नेमेन्द्र चन्द्रकर
25.	कार्यालय भृत्य	-	1. श्री सुरेश राम साहू	2. श्री सहदेवराम वर्मन
26.	चौकीदार	-	श्री रामाधार कोठारी	
27.	स्वीपर	-	श्री बजरंग बघेल	
28.	बुक लिफ्टर	-	श्री दिनेश कुमार जायसवाल	

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन 2011) तथा उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए छत्तीसगढ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम 2011

पदाभिहित अधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय – श्री बी. महोबिया, सहायक प्राध्यापक
शासकीय डॉ. बा.सा.भी. अम्बेडकर स्नातकोतर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

स. क्र.	अधिसूचित लोक सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज की सूची	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित समय–सीमा	सक्षम प्रदान अधिकारी का नाम एवं पद नाम	अपील प्राधिकारी नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता	अपील के निराकरण हेतु समय–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	आवेदन पत्र, परिचय पत्र, जमा रसीद की मूल प्रति	15 दिन	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
2.	महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अवेदनों का निपटारा निर्धारित	आवेदन पत्र के साथ मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विगत उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकसूची, छ.ग. का निवास प्रमाण पत्र, गेप होने की स्थिति में गेप सर्टिफिकेट, विगत परीक्षा छत्तीसगढ़ के बाहर के बोर्ड/वि.वि. से परीक्षा उत्तीर्ण की दशा में प्रवेश हेतु पं. रवि.वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन फार्म के साथ जमा करना होगा। डुप्लीकेट स्थानांतरण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में थाना में रिपोर्टकी गई एफ.आई.आर. की प्रति एवं वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा, पूर्व वर्ष में नियमित विद्यार्थियों को अपना परिचय पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा।	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
3.	अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति	निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन विगत उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची एवं नियमानुसार आय, जाति, निवास, परिचय पत्र एवं रसीद की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।	30 दिन के भीतर	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
4.	ब. छात्रवृत्ति स्वीकृति	किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में अपना खाता खोलवाकर खाता नं. कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, छात्रवृत्ति का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा, छात्रवृत्ति का चेक प्राप्त करते समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस

Scanned with CamScanner

5.	पुस्तकों का प्रदाय	स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 02 पुस्तकें एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों का 04 पुस्तकें 15 दिवस के लिए निर्गमित किया जाता है। ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त करते समय परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं को पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् पुस्तकें प्रदाय की जायेगी।	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
6.	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन पत्र के साथ संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र कर संलग्न करना, विगत नियमित परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची की छायाप्रति, परिचय पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा, परिचय पत्र गुम हो जाने की दशा में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
7.	परिचय पत्र जारी करना	स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ 02 पासपोर्ट फोटो लगाना आवश्यक है, भाग-दो, तीन एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के प्रवेश हेतु आवेदन फार्म में विगत वर्ष जारी परिचय पत्र लगाना होगा।	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
8.,	छात्रावास में प्रवेश	निर्धारित आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी भरकर महाविद्यालय कार्यालय मे जमा करना होगा जिसे संबंधित छात्रावास को अग्रेषित किया जायेगा।	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
9.	मार्क शीट	अंकसूची प्राप्त करने हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र, विशेष परिस्थिति में अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
10.	चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ दिया जायेगा, विशेष परिस्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस

1.	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं पक्ष क्रं.	आशीष गौतम सहायक ग्रेड-3 कक्ष क्रं. 02 (कार्यालय)
2.	अपील प्रस्तुत करने के लिए समय - सीमा	सक्षम अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिवस के भीतर

Scanned with CamScanner

स्नातकोत्तर के छात्र-छात्राओं द्वारा
पावर प्वाईण्ट प्रेजेन्टेशन

नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत
महाविद्यालय मे परिचर्चा

वार्षिकोत्सव में छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत
प्रदर्शन का एक दृश्य

अन्तर्राष्ट्रीय एड्स दिवस पर ब्लाक स्तरीय
कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र-छात्रायें

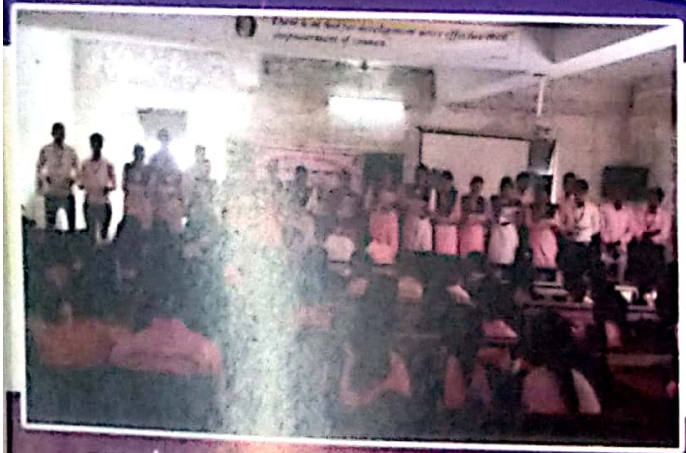

छात्रसंघ शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते
छात्रसंघ पदाधिकारी तथा कक्षा प्रतिनिधि

राष्ट्रीय खोखो प्रतियोगिता (चंडीगढ़) में प्रथम स्थान प्राप्त महा.
के विद्यार्थियों के साथ प्राचार्य डॉ. श्रीमती बी.एन. मेश्राम

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय सेमीनार (समाजशास्त्र) में अतिथिगण, रिसोर्स पर्सन, रिसर्च स्कॉलर एवं महा. के प्राध्यापक

विश्व एड्स दिवस पर महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता

गोद ग्राम कोहका में एन.एस.एस. के छात्र-छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

मतदाता जागरूकता अभियान के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं द्वारा बनाई गई वोट की आकृति

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत महाविद्यालय में पौधा रोपण

स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत महाविद्यालय में मानव श्रृंखला

Scanned with CamScanner